

उनवान
 सायनारायण पुत्र छीतर दसोगा निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
 बनाम

1. अगर सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
2. कुलदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
3. बलवीर सिंह पुत्र संग्राम सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
4. रतन सिंह पुत्र संग्राम सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
5. रोशन सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
6. संतोष कंवर पत्नी गोपाल सिंह राजपूत निवासी बडागांव तहसील निवाड़ी जिला टोक
7. तहसीलदार निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टोक
8. उपपजीयक दतवास जिला टोक
9. तहसीलदार निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टोक


उपरिस्थित :- 1 श्री पुरुषोत्तम शर्मा (अधिवक्ता वादीगण)
 2 श्री ओमप्रकाश माली अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादपत्र के तथ्य राक्षम में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि आराजगीयत स्वसरा नम्बर 177/1 रकबा 102014 हेक्टर, बाक गांव बडागांव तहसील निवाड़ी में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 एम शेप हिस्सा 1/2 प्रतिवादी राख्या 1 ता 6 के निचले वादीगण अपने हिस्से की भूमि को शाररिक एवं मानसिक रूप से धारित है व काश्त करते वक़्त वादीगण के पास अपने कुजुमों से प्राप्त हुई भूमि है। जिसमे बहागी बंटवारे अनुसार मौक पर 1/2 हक व हिस्से पर वादीगण के खेत बने हुए है वादीगण के खेतों के पास से होकर लगभग साठे निकले जाने के कारण प्रतिवादी राख्या 1 ता 6 के मून बेईमानी आ गई है। जिस कारण प्रतिवादीगण रोड के पास की भूमि पर अपना हक बताकर विकस्य करने पर आमदा है जिससे आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी राख्या 1 ता 6 वादी द्वारा विकसित भूमि को अपनी बताकर बेचने पर आमदा है। प्रतिवादीगण के पास वादीगण से अधिक भूमि है व काश्त कर रहे है। अधिक भूमि व कम भूमि का खतर आगे दिन विवाद करते रहते है इसलिए सदा सदा नम्बरान का विधिवत तकासमा किया जाना निषेधित एवं न्यायसंगत है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी राख्या 1 ता 6 की ओर से श्री ओमप्रकाश माली अडवोकेट व कलतनामा व सदाव दावा पेश किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर सोचे की वाई मिडस एण्ड वाउण्डस अनुसार प्राथमिक डिक्ली सिंग जानी हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी की वाई मिडस एण्ड वाउण्डस अनुसार तकासमा कराने हेतु सहमत। वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता को आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की साक्ष्य को केर प्राथमिक डिक्ली हेतु बहस उभयपक्षकाराने शुर्नी मनी। अवलोकन किया गया।


 सहायक कलक्टर
 (फास्टट्रेक) निवाड़ी

निर्दिष्ट बादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 वाद
 हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2024 को खसरा नम्बर 177/1 रकबा 102014
 विभाजन कर प्रस्ताव तहसील निवाई का बाई मिडरा एण्ड वाउण्डस अनुसार विभाजन कर
 विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री क आदेश दिये जाकर तहसीलदार निवाई को
 विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार निवाई द्वारा आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 30.07.2024
 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त
 विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 कब्जे काश्त
 आधार पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन सवत 2073-76	खसरा	रकबा
1	बडागाव	गुडडी पुत्री मागीलाल दशगा हि 1/4 साबिक खसरा सदन 1/4 बीआरकेजीबी निवाई सत्यनारायण पुत्र छीतर दशगा हि 1/2 साबिक सदन बीआरकेजीबी निवाई सुनिता पुत्री मागीलाल हि 1/4 साबिकरहन बीआरकेजीबी निवाई	177/1	0.6007
	योग		177/1	0.6007

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम गोके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार का नाम	खसरा	रकबा
1	बडागाव	मकर सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत साबिक खातेदार	177/5	0.1001
	योग		177/3	0.1001


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन सवत 2072-73	खसरा	रकबा
1	बडागाव	रोशन सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत साबिक खातेदार	177/4	0.1001
	योग		177/4	0.1001

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन सवत 2073-76	खसरा	रकबा
1	बडागाव	रतनसिंह पुत्र सज्जम सिंह राजपूत	177/5	0.1335
	योग		177/5	0.1335

सहायक कलक्टर
 (कास्ट्रेक) निवाई

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खातोदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2072-73	ख.न.	संख्या
1	बडागाव	1 कुलदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत हि 1/3 राहिन पजाय एण्ड सिध वैक निवाई 2 बलदीर सिंह पुत्र सगाम सिंह राजपूत हि 1/2 राहिन पजाय एण्ड सिध वैक निवाई 3 सन्तोष कंवर पत्नी गोपाल सिंह राजपूत हि 1/6 राहिन पजाय एण्ड सिध वैक निवाई	177 / 6	02670
	योग		177 / 6	02670

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री जारी हो फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।
यह निर्णय आज दिनांक 23/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 सुरेश कुमार हरसोलिया
 (आर.ए.एस.)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाड़ जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इत्दादाई)

(सुरेश कुमार हरसोलिया आर ए एस सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाड़)

उनवान

सत्यनारायण बनाम अमरसिंह वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 66/2023


यह मुकदमा आज वारतो इनफिसाल कताई रूवरु सुरेश कुमार हरसोलिया आर ए. एस. व हाजरी श्री पुरुषोत्तम शर्मा वकील वादी एव श्री ओमप्रकाश माली वकील प्रतिवादीगण भिनजानिव गुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है वाद वादी डिकी किया जाता है कि तहसीलदार निवाड़ से प्राप्त कूरैजात रिपोर्ट पर बहस उभयपक्षीय विद्वान अभिगापक वादीगण सुनी गई। वाद वादी मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट डिकी किया जाकर वादी एव प्रतिवादीगण की रायुक्त खातेदारी ग्राम ग्राम खरारा नम्बर 177/1 रकबा 102014 हैक्टयर, वाके ग्राम बडागाव तहसील निवाड़ की भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2073-76	सं. नं.	रकबा
1	बडागाव	मुडली पुत्रे मंगीलात दशमा हि 1/4 साधिके रकबा 1/4 वीआरकेजीपी निवाड़ सत्यनारायण पुत्र अचर दशमा हि 1/4 साधिके रकबा वीआरकेजीपी निवाड़ सुनिता पुत्री मंगीलात हि 1/4 साधिके रकबा वीआरकेजीपी निवाड़	177/1	0.6007
	योग		177/1	0.6007

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम भोके पर कादिज काशत अनुसार खातेदार का नाम	सं. नं.	रकबा
2	बडागाव	नवर सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत साधिके खातेदार	177/3	0.1001
	योग		177/3	0.1001

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2072-73	सं. नं.	रकबा
1	बडागाव	रोशन सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत साधिके खातेदार	177/4	0.1001
	योग		177/4	0.1001


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अंकन संवत् 2073-76	सं. नं.	रकबा
1	बडागाव	रतनसिंह पुत्र राधासिंह सिंह राजपूत	177/5	0.1335
	योग		177/5	0.1335


सहायक कलेक्टर
(फास्टट्रेक) निवाड़

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अकन सवत 2072-73	सं. न.	रकबा
1	बडागाव	1 बलदीप सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत डि 1/3 सहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक निवाई	177 /	0.2670
		2 बलदीप सिंह पुत्र राम्राम सिंह राजपूत डि 1/2 सहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक निवाई	6	
		3 रान्तोथ कंवर पत्नी गोपाल सिंह राजपूत डि 1/6 सहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक निवाई		
	योग		177 /	0.2670
			6	

तहसीलदार निवाई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगत करने के आदेश दिये जाते हैं। फरीजेंन स्वर्च अपना अपना चहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/12/24 को जारी की गई।


सुरेशकुमार हरसोलिया
(आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई